81

संख्या-12/2026/1310/नौ-5-2026/001-Com.No.1445206

प्रेषक,

देवेश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

(1) राज्य मिशन निदेशक (अमृत-2.0), निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(2) निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 09 अप्रैल, 2026

विषय:- अमृत-2.0 योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश एवं उसके समतुल्य राज्यांश एवं निकायांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य मिशन निदेशक अमृत-2.0, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-एसएमएमयू/6973/39(10)/2026,दिनांक 01-04-2026, पत्र संख्या-एसएमएमयू/6971/39(10)/2026,दिनांक 01-04-2026 एवं पत्र संख्या-एसएमएमयू/6972/39(10)/2026,दिनांक 01-04-2026 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अमृत-2.0 योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि रू० 300.00 करोड़ के सापेक्ष केन्द्रांश एवं उसके सापेक्ष राज्यांश एवं निकायांश की कुल धनराशि **रू० 840.03 करोड़ (रूपये आठ अरब चालीस करोड़ तीन लाख मात्र)** को निम्नांकित विवरण, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन एस.एन.ए स्पर्श प्रणाली के अंतर्गत नियमानुसार साइबर ट्रेजरी के माध्यम से व्यय किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ द्वारा कोषागार से आहरित कर स्टेट मिशन डायरेक्टर (अमृत-2.0 योजना) के पदनाम से खुले राष्ट्रीकृत बैंक में स्टेट नोडल खाते में रखी जायेगी एवं इस संबंध में में जारी शासनादेशों के सापेक्ष अवमुक्त की जायेगी।

(2) उक्त धनराशि का व्यय अमृत-2.0 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों प्रतिबन्ध, दिशा-निर्देशों एवं गाइड लाइन के अनुसार किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(4) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।

(5) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च, 2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि नगर निकाय के अंश की धनराशि को राजकोष में जमा किये जाने के उपरान्ह ही धनराशि का आहरण करेंगे।

(7) इस संबंध में 'सेंटेज चार्जेज, निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बंधित वित्तीय प्रबंधन' सम्बंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मई, 2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19 मई, 2023 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2217051910105 (अटल मिशन फार रिजूवनेशन एण्ड अरबन ट्रान्शफारमेशन के अन्तर्गत सहायता (अमृत-2.0) (के.25/रा.33.33-के.+रा.) (10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	037	2217051910105 अटल मिशन फार रिजूवनेशन एण्ड अरबन ट्रान्शफारमेशन के अन्तर्गत सहायता (अमृत- 2.0) (के.25/रा.33.33-के.+रा.) (10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर)	35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	2,80,00,00,000 (रुपये दो अरब अस्सी करोड़ मात्र)
	कुल			**2,80,00,00,000 (रुपये दो अरब अस्सी करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2217051920105 (अटल मिशन फार रिजूवनेशन एण्ड अरबन ट्रान्शफारमेशन के अन्तर्गत सहायता (अमृत- 2.0) (के.33.33/रा.50-के.+रा.) (1 लाख से 10 लाख तक जनसंख्या वाले शहर))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	037	2217051920105 अटल मिशन फार रिजूवनेशन एण्ड अरबन ट्रान्शफारमेशन के अन्तर्गत सहायता (अमृत- 2.0) (के.33.33/रा.50-के.+रा.) (1 लाख से 10 लाख तक जनसंख्या वाले शहर)	35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	3,00,03,00,000 (रुपये तीन अरब तीन लाख मात्र)
	कुल			**3,00,03,00,000 (रुपये तीन अरब तीन लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2217051930105 (अटल मिशन फार रिजूवनेशन एण्ड अरबन ट्रान्शफारमेशन के अन्तर्गत सहायता (अमृत- 2.0) (के.33.33/रा.50-के.+रा.) (1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	037	2217051930105 अटल मिशन फार रिजूवनेशन एण्ड अरबन ट्रान्शफारमेशन के अन्तर्गत सहायता (अमृत- 2.0) (के.33.33/रा.50-के.+रा.) (1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर)	35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	2,60,00,00,000 (रुपये दो अरब साठ करोड़ मात्र)
	कुल			**2,60,00,00,000 (रुपये दो अरब साठ करोड़ मात्र)**

महायोग	8,40,03,00,000 (रुपये आठ अरब चालीस करोड़ तीन लाख मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यू0ओ0 संख्या–E-9-2-X-2026-27, दिनांक: 09-04-2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(देवेश मिश्र),
संयुक्त सचिव।

संख्या-12/2026/1310(1)/नौ-5-2026/001-Com.No.1445206, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

2- महालेखाकार(वर्क्स लेखा अनुभाग) उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।

3- सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली ।

4- निदेशक (अमृत-2.0), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।

5- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।

6- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।

7- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।

8- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

9- अपर परियोजना निदेशक, क्षेत्रीय एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, उ0प्र0 लखनऊ।

10- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

12- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(देवेश मिश्र),
संयुक्त सचिव।